न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567 / 2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36 / 2023
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
निर्णय की तिथि:– 23.06.2026

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567 / 2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36 / 2023
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
निर्णय की तिथि:– 23.06.2026

फार्म–ए

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई प्रस्तुतः– श्री अमित कुमार जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई निर्णय की तिथि:– 23.06.2026 सत्र वाद संख्या :– 567 / 2023 सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023 सोनो थाना कांड संख्या :– 36 / 2023 धारा:– 364A / 34 भा0द0वि0	
परिवादी / सूचक	बिहार सरकार द्वारा सूचक प्रमोद कुमार साव, पिता– स्व0 गणेश साव, ग्राम– जोकरिया, थाना–सोनो, जिला–जमुई।
अभियोजन की ओर से	श्री चंद्रभानु सिंह, विद्वान अपर लोक अभियोजक
अभियुक्तगण	1:– **अमित यादव**, उम्र करीब 35 वर्ष, पिता– स्व0 विरेन्द्र यादव। साकिन:– मांगोबंदर, थाना:– खैरा, जिला– जमुई। 2:– **सुनील कुमार दास**, उम्र करीब 30 वर्ष, पिता– स्व0 सहदेव दास। साकिन:– असरहुआ, थाना:– चरकापत्थर, जिला– जमुई।
बचाव पक्ष की ओर से	श्री लखनलाल शर्मा, विद्वान अधिवक्ता (अभियुक्त सुनील कुमार दास की ओर से)। श्री पवन कुमार राय डी0जी0 चीफ एल0ए0डी0सी।

फार्म–बी

अपराध की तिथि	06.02.2023
प्राथमिकी की तिथि	07.02.2023
आरोप गठन की तिथि	05.10.2023
साक्ष्य बंद होने की तिथि	06.08.2025
निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	09.06.2026
निर्णय की तिथि	23.06.2026

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567/2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023
सी0एन0आर (CNR) :– **BRJA01-006072-2023**
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
<u>उपस्थित– श्री अमित कुमार</u>
<u>निर्णय की तिथि:– 23.06.2026</u>

सजा की तिथि	29.06.2026

<u>निर्णय</u>

1. प्रस्तुत वाद में उपरोक्त नामित अभियुक्त अमित यादव एवं सुनील दास के विरूद्व धारा 364A/34 भा0द0वि के अंतर्गत आरोप गठन कर इस मामले में विचारण किया गया हैं एवं इस वाद के एक अन्य अभियुक्त विशुन दास का विचारण दिनांक 24.07.2014 के आलोक में इस वाद से पृथक किया गया हैं।

2. यह काण्ड सूचक प्रमोद कुमार साव के लिखित आवेदन पर थाना सोनो में प्राथमिकी संख्या 36/23 दिनांक 07.02.2023 को धारा 363, 365 भा0द0वि0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दर्ज हुआ तथा अन्वेषण उपरान्त अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप–पत्र संख्या– 131/2023, धारा 364(A)/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए समर्पित किया गया। इस मामले में विद्वान जे0एम प्रथम श्रेणी, जमुई ने आरोप–पत्र में अंकित अभियुक्त अमित यादव, सुनील दास एवं विशुन रविदास के विरूद्व भा0द0वि0 की धारा 364(A)/34 के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए मामले में दिनांक 18.09.2023 को संज्ञान लिया तथा उपरोक्त अभियुक्तगण का मामला विचारण हेतु सत्र न्यायालय को दौरा सुपुर्द किया।

3. इस वाद के एक अभियुक्त विशुन रविदास, पिता– पलन दास, साकिन बेहड़ी टिलहवा, थाना–सोनो, जिला–जमुई का इस न्यायालय के आदेश दिनांक 24.07.2024 द्वारा अभियुक्त की अनुपस्थिति के कारण अभियुक्त विशुन रविदास के वाद का विचारण को इस वाद से पृथक किया गया।

4. अभियोजन की केस लिखित आवेदन के आधार पर संक्षेप में यह हैं कि सूचक प्रमोद कुमार का ग्राम रक्तरोहनिया, नैया टोली में एक किराना दुकान हैं जिसका संचालन सूचक एवं उनके पुत्र संतोष कुमार साव के द्वारा किया जाता हैं। दिनांक 06.02.2023 की शाम 04 बजे सूचक के पुत्र संतोष कुमार साव दुकान खोलने के लिए अपने बाईक जिसका रजि0 नंबर BR-46J4036 से रक्तरोहनिया, नैया टोली गया। उसके पास हमेशा अपना मोबाईल रहता था जिसका नंबर 7488199836 हैं। दुकान 08–09 बजे रात्रि में हमेशा बंद कर देते हैं और यह सिलसिला लगभग 20–25 वर्षों से चलता आ रहा हैं। दिनांक 06.02.2023 को रात्रि 08:53 मिनट में संतोष कुमार साव की पत्नी सूचक के मोबाईल संख्या 9142367185 से अपने पति के मोबाईल नंबर 7488199836 पर फोन की, परंतु मोबाईल स्वीच ऑफ पाया गया और तब से लगातार सूचक का परिवार सभी सगे–संबंधियों को फोन करना शुरू किया परन्तु संतोष कुमार साव का पता नहीं चला। सूचक स्वयं ग्राम रक्तरोहनिया जाकर लोगों से पूछताछ किया तो स्थानीय लोगों से ज्ञात हुआ कि लगभग 08 बजे रात्रि संतोष कुमार घर के लिए निकल गये।

5. यह काण्ड सूचक प्रमोद कुमार साव द्वारा दिनांक 07.02.2023 को थाना में दिये गये लिखित आवेदन–पत्र के आधार पर थानाध्यक्ष सोनो को लिखित आवेदन को काण्ड दर्ज करने हेतु अग्रसारित किया गया, जिसके आधार पर सोनो थाना काण्ड संख्या 36/23 दिनांक 07.02.2023 धारा 363, 365 भा0द0वि के अंतर्गत दर्ज किया गया और पु0अ0नि सह थानाध्यक्ष चितरंजन कुमार, ने स्वयं अनुसंधानकर्ता के रूप में अनुसंधान करने का भार ग्रहण किया।

6. अनुसंधान के दौरान अनुसंधानकर्ता द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण, गवाहों का ब्यान के पश्चात् अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 364(A)/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत आरोप–पत्र

VerdictIQ

संख्या 131/2023 दिनांक 30.04.2023 को समर्पित किया गया। तद्नुसार इन्हीं धाराओं में अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपों का संज्ञान दिनांक 18.09.2023 को लिया गया और वाद को सत्र न्यायाधीश द्वारा विचारण किये जाने योग्य पाकर वाद को सत्र न्यायालय में दौरा सुपूर्द कर दिया गया।

7. यह कि दौरा सुपूर्दगी के बाद यह वाद कई न्यायालयों से अन्तरित होकर इस न्यायालय के समक्ष विचारण हेतु दिनांक 23.09.2023 को प्राप्त हुआ।

8. यह कि विद्वान न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व धारा 364(A)/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत आरोप का गठन दिनांक 05.10.2023 को किया गया, जिसे पढ़कर अभियुक्तगण को हिन्दी में सुनाया गया और अभियुक्तगण ने श्रवणोपरांत अपराधों को स्वीकार नहीं किया और वे अपने को निर्दोष बताते हुए विचारण का दावा किया।

9. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के बाद दिनांक 16.10.2025 को अभियुक्तगण का दं0प्र0सं0 की धारा 313 के अन्तर्गत कथन लिपिबद्व किया गया अपने धारा 313 दं0प्र0सं0 के कथन में अभियुक्तगण स्वयं का निर्दोष बताये तथा इस केस में झूठा फंसाये जाने का कथन किया हैं।

10. अब इस न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैं कि क्या अभियोजन आरोपित अभियुक्तगण के विरूद्व लगाये गये आरोपो को युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित करने में सफल हो सका हैं?

अभियोजन/बचाव पक्ष/ न्यायालय साक्ष्य

(क) अभियोजन मौखिक साक्ष्य:–

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)**
पी.डब्लू–1	**संजय साव**	**अन्य साक्ष्य**
पी.डब्लू–2	**प्रमोद कुमार साव**	**सूचक**
पी.डब्लू–3	**सोनु कुमार**	**अन्य साक्ष्य**
पी.डब्लू–4	**संतोष कुमार**	**पीड़ित/ साक्ष्य**
पी.डब्लू–5	**चितरंजन कुमार**	**पुलिस साक्ष्य**

(ख) विपक्षी मौखिक साक्ष्य:–

रैंक	**नाम**	**साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)**
नहीं	नहीं	नहीं

(क) अभियोजन प्रदर्श:–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1.	पी1/पीडब्लू–2	लिखित आवेदन पर सूचक/पीडब्लू–2 का हस्ताक्षर।
2.	पी2/पीडब्लू–5	लिखित आवेदन।
3.	पी3/पीडब्लू–5	लिखित आवेदन पर कांड दर्ज किए जाने का पृष्ठांकण।
4.	पी4/पीडब्लू–5	औपचारिक प्राथमिकी।
5.	पी5/पीडब्लू–5	औपचारिक प्राथमिकी पर पीडब्लू–5 का हस्ताक्षर।
6.	पी6/पीडब्लू–5	मोबाईल की जप्ती सूची।
7.	पी7/पीडब्लू–5	अभियुक्त विशुन रविदास का गिरफ्तारी मेमो।
8.	पी8/पीडब्लू–5	अभियुक्त सुनील दास का गिरफ्तारी मेमो।
9.	पी9/पीडब्लू–5	मोटरसाईकिल की जप्ती सूची।
10.	पी10/पीडब्लू–5	अभियुक्त विशुन रविदास का स्वीकारोक्ति ब्यान।
11.	पी11/पीडब्लू–5	अभियुक्त सुनील दास का स्वीकारोक्ति ब्यान।
12.	पी12/पीडब्लू–5	धारा 164 दं0प्र0स0 अंतर्गत संतोष कुमार का ब्यान।
13.	पी13/पीडब्लू–5	आरोप–पत्र संख्या 131/23।
14.	पी14/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 7488199836 का सी0डी0आर।
15.	पी15/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 9153832761 का सी0डी0आर।
16.	पी16/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 9279923619 का सी0डी0आर।
17.	पी17/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 6203471848 का सी0डी0आर।
18.	पी18/पीडब्लू–5	प्रमाण–पत्र धारा 65बी भा0सा0अधि0

(ख) बचाव पक्ष की ओर से प्रदर्श:–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(ग) न्यायालय प्रदर्श:–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
नहीं	नहीं	नहीं

(घ) वस्तु प्रदर्श:–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1.	एम0ओ0–1/पीडब्लू–5	जप्त नीले रंग का एम0आई0 मोबाईल।

11. अभियोजन के ओर से प्रस्तुत मौखिक साक्षियों में अभियोजन साक्षी संख्या 01 संजय साव ने अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि केस मेरे बड़ भाई प्रमोद यादव ने किया हैं। 06 फरवरी 2023 को मेरा भतीजा संतोष कुमार प्रतिदिन रक्तरोहनिया गांव दुकान खोलने जाता था, प्रत्येक दिन आना जाना होता था और घर 08–09 बजे शाम तक आ जाया करता था। 06 फरवरी 2023 को 9–10 बजे तक घर नहीं आया और उसका मोबाईल बंद आया तो

घर के सभी लोग चिंता में पड़ गया और हमलोग खोजबीन करने लगे। प्रशासन को फोन किया कि अभी तक बेटा नहीं आया हैं तो प्रशसन आया। दूसरे दिन संतोष के मोबाईल से फोन आया और फोन पर बताया कि 6 लाख रूपया दो नहीं तो बेटा मार दिया जायेगा। भाई प्रमोद साह ने पैसा व्यवस्था कर कर किसी पुल के पास पहुंचाये थे। पुल का नाम मैं नहीं जानता हूं। भैया द्वारा पैसा पहुंचाने के बाद बेटा मिला। पुलिस में मेरा ब्यान हुआ था। कौन लोग अपहरण किया था मैं नहीं देख।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि सुनील दास कब दुकान बंद दिया और कब दुकान से चला, मैं अपनी आंखें से नहीं देखा था। उसका अपहरण कौन किया, किसने किया और कहां से किया ये मैं नहीं जानता हूं। रूपया किसने दिया, किसको दिया ये मैं नहीं बता सकता हूं परन्तु रूपया पुल के पास दिया गया था। जिसका अपहरण हुआ, उसके बारे में गावं में पता चला कि वह मिल गया हैं और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता हूं।

12. अभियोजन साक्षी संख्या 2 प्रमोद कुमार साव, सूचक, अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि यह केस मैं किया हूं। मैं बहुत दिनों से रक्तरोहनिया में दुकान कर रहे हैं और वहां से मैं 07–08 बजे शाम तक अपना घर जोकटिया चले आते हैं। दुकान पर मैं और मेरा लड़का संतोष कुमार भी रहता हैं। मेरा लड़का दुकान बंद कर घर आ जाया करता था लेकिन 06 फरवरी 2023 को वह वापस नहीं आया। उसका मोबाईल फोन भी बंद था। मेरी बहु ने बोला कि पापा मेरे पति घर नहीं आये हैं उनका फोन बंद हैं। मैं भी फोन लगाया लेकिन फोन बंद था तो मैं अपना बाईक निकाला और दुकान की तरफ चल दिया। बीच में थोड़ा रास्ता कटा था फिर भी मैं निकल गया, जब दुकान पहुंचा तो देखा कि ताला लगा हुआ हैं। ग्रामीण लोगों से जब पूछताछ किया तो वे लोग बताये कि आपका बेटा संतोष डेढ़ घंटा पहले ही दुकान बंद करके निकल गया हैं। फिर मैं घर घूर कर चले आया और घर में बात किया। रिश्तेदार के यहां फोन किया कहीं पता नहीं लगा तो मुखिया जी को फोन किया उन्होनें बोला की थाने को खबर किजिए। थाना को खबर किया तो थाना आधे घंटे के अन्दर मेरे घर पर पहुंच गया और हमलोगों से पूछताछ किया और पुलिस वाले भी मेरे बेटे के खोजबीन में लग गये। खोजबीन करने के बाद पुलिस वाले थाने चले गये और हमको सुबह थाने पर बुलाये। जब मैं थाना पर गया तो बड़ा बाबू ने बताया कि कहीं पता नहीं चल रहा हैं ये तो कोई अनहोनी घटना हैं, हमलेाग खोजबीन में लगते हैं। सोनो थाना में बड़ा बाबु के चैम्बर में हम बैठे हुए थे तभी संतोष के मोबाईल नबंर से मेरे मोबाईल पर फोन आता हैं, तो मैं अपने फोन को बड़ा बाबू को दे दिया उन्होंने स्पीकर ऑन करके बात करना शुरू किया, उधर से कोई बहुत ही अभद्र भाषा में बात कर रहा था तथा गाली–गलौज भी कर रहा था। बड़ा बाबु देहाती भाषा में उससे बात कर रहे थें कि बच्चा मेरा हमें वापस कर दो, बिना अपना परिचय दिए। उधर से उसने छः लाख रूपये का मांग किया, नहीं देने पर बच्चे को काट देगें, यह भी धमकी दिया। इतनी बात के बाद मोबाईल फोन बंद हो गया। अगले दिन दिनांक 08.02.2023 को संतोष के नंबर से फिर फोन आया मेरे नंबर पर, जो डिमांड किया था उसका क्या हुआ, पैसा लेकर आओ नहीं तो तुम्हारे बच्चे को काट देंगे। मैंने अपनी ओर से विनती किया कि मैं इतना पैसा कहां से दूंगा तो उसने बोला की चार लाख रूपया दो, हम फिर से विनती करने लग गये तो उसने फोन काटकर स्वीच ऑफ कर दिया। उसी दिन दूसरी पहर में दुबारा फोन आता हैं और पैसे के लिए पूछता हैं कि पैसा लेकर आ रहे हो की नहीं। मैं अपनी मजबूरी उसके सामने बताया की

इतना पैसा कहां से लाउंगा तो उसने 3,50,000/– रूपये की मांग की और उसके बाद दुबारा स्वीच ऑफ कर दिया। उसी दिन 09:00 बजे रात्रि को फिर फोन आया और बोला कि पैसे का व्यवस्था हुआ की नहीं, नहीं तो बच्चे को काट देंगें नहीं तो जल्दी बोलो, तो मैं बोला की अभी उपाय नहीं हैं कल बोलेंगे। अगले दिन 09.02.2023 सुबह फिर से कॉल बेटे के नबंर से मेरे नम्बर पर आया और 2,50,000/– रूपये देने की मांग पर सहमति बनी, बेटे को छोड़ने के लिए, फिर मोबाईल बंद हो गया। उसी दिन 09 तारीख को दूसरे पहर लगभग 04:00 बजे कॉल आता हैं, बेटे के मोबाईल से पैसे की व्यवस्था के लिए पूछते हैं कि हुआ कि नहीं, मैने का कि दो लाख रूपया हो गया हैं बाकी व्यवस्था कर रहे हैं। मैंने उससे पूछा की पैसा लेकर कहां आयेगे, तो उसने बोला की झाझा पेट्रोल पम्प के पास आना होगा। मैंने जब समय पूछा तो उसने शाम में 06:30 बजे आने को बोला। जब मैं झाझा पेट्रोल पम्प पहुंचा तो किसी दूसरे मोबाईल नंबर से फोन आया और बोला कि ग्राम बलियो आने को बोला, फिर मोबाईल स्वीच ऑफ कर दिया। फिर कुछ देर के बाद दूसरे नंबर से फोन आता हैं कि आप वहां नहीं मांगोबंदर आईये, जब मैं मांगोबंदर बाजार पार कर बजरंगबली मंदिर, सामुदायिक भवने के पास पहुंचा तो फिर वहां फोन आया, हमसे पूछा कि कहां हो जब मैं अपना स्थान बताया, उसने बोला कि मैं देख रहा हूं। फिर फोन पर बोला कि केन्दुआ मोड़ पर आओ, फिर मोबाईल बंद हो गया, मैं केन्दुआ मोड़ के पास पहुंचा, कुछ देर के बाद फिर फोन आया और बोला कि टिहिया मोड़ के पास आईये। जब मैं टिहिया मोड़ पर गये तो फिर फोन आता हैं और हमसे पूछता हैं कि आप कहां हैं मैंने बताया कि मैं टिहिया मोड़ के पास हैं पुनः फोन आया और बोला कि डहुआ पुल के पास आईये, इसके बाद मोबाईल स्वीच ऑफ कर दिया। मैं डहुआ पुल के पास पहुंचा तो एक घंटा के बाद पुनः फोन आया और बोला कि आप कहां हैं तो मैंने बताया कि मैं डहुआ पुल के पास हैं तो बोला कि आप वहीं पर रहिए और बोला पुल के तीसरा पाया के पास आईये और पैसा को पुल के नीचे गिराईये, तो मैं 2,50,000/– रूपया पुल के नीचे गिरा दिया, उसके बाद वे लोग मोबाईल स्वीच ऑफ कर दिया। कुछ देर के बाद पुनः मेरे मोबाईल पर फोन आता हैं और बोलता हैं कि पुरा पैसा नहीं हैं, फिर मोबाईल को स्वीच ऑफ कर देता हैं। उसके आधा घंटा के बाद पुनः मेरे मोबाईल पर फोन आता हैं और बोलता हैं कि पैसा ठीक हैं और बोलता हैं कि आप टिहिया मोड़ के पास जाइये आपका लड़का संतोष मिल जायेगा। मैं टिहिया मोड़ गया तो वहां पर मेरा लड़का संतोष नहीं मिला। मैं टिहिया मोड़ स्कूल के पास करीब एक घंटा तक इंतजार किया। फिर मेरे मोबाईल पर फोन आया कि आप डहुआ पुल पर आईये और बोला कि आपका लड़का मिल जाएगा, फिर मोबाईल स्वीच ऑफ कर दिया। मैं डहुआ पुल पर गया और मैंने करीब एक घंटा तक इंतजार किया। पुनः एक घंटा के बाद फोन आया और बोला कि आपका लड़का संतोष मोटर साईकिल का लाईट जलायेगा तो समझ जाइयेगा कि आपका लड़का आ गया हैं, उसके बाद मोबाईल स्वीच ऑफ हो गया। कुछ देर बाद डहुआ पुल के अंतिम छोर से लाईट जलाता है, जाकर देखे कि लाईट किसका जल रहा है तो देखे कि मेरा लड़का ही लाईट जला रहा था। मेरा लड़का संतोष मिल गया। इस घटना से संबंधित लिखित आवेदन मैंने सोनो थाना में दिया था जिसपर मेरा हस्ताक्षर हैं जिसे पहचानता हूं इसे प्रदर्श–पी1/पी0डब्लू–2 अंकित किया गया। बच्चा मिलने के बाद मैं थाना गया। थाना में मेरा तथा मेरा लड़का संतोष का ब्यान लिया गाय, जिसका कागज बना उस कागज पर मैं और मेरा बेटा संतोष अपना–अपना हस्ताक्षर बनाया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि हमारे लड़का को किसने अपहरण किय था नहीं देखा था और आजतक मुझें इसकी जानकारी नहीं हो पाया

कि मेरा लड़का को किसने अपहरण किया था। मेरा लड़का नहीं मिलने पर मैं थाना गया। उसके बाद मुझें जिसने फोन पर सभी स्थानों पर बुलाया था उसे भी मैंने नहीं देखा था। मेरे पास जहां–जहां से फोन आया था फोन करने वालों को भी नहीं जानता हूं। जो मैंने मुख्य परीक्षण में बातें बताई थी वे सारी बातें पुलिस के समक्ष दर्ज कराया था। हमको किसी अभियुक्त पर शक नहीं हैं।

13. अभियोजन साक्षी संख्या 3 सोनु कुमार अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि यह केस संतोष जी के पिता प्रमोद साव जी ने किया हैं। यह घटना 06 फरवरी 2023 की हैं। सूचक प्रमोद साव के पुत्र संतोष कुमार साव ग्राम रक्तरोहनिया में किराना का दुकान चलाता था। प्रत्येक दिन 4 बजे घर से दुकान खोलने के लिए अपने मोटरसाईकिल से चला जाता था और रात 8–9 के बीच वह घर आ जाता था। जब वह 9 बजे रात तक घर वापस नहीं लौटा तो उनके पिता जी दुकान पर गए वहां पर कुछ पता नहीं चला तो घर लौटे, उनके पिता ने बोला कि वह नहीं मिला तो हमलोगों ने खोजबीन किया फिर भी पता नहीं चला उसके बाद हमलोग सभी रिश्तेदार को फोन किए जब सभी जगह खोजने पर नहीं पता चला तो प्रमोद साव सोनो थाना फोन किए तो पुलिस अधिकारी घर पर आए और खोजबीन किए फिर भी पता नहीं चला। फिर दूसरी सुबह हमलोग थाना पर गए तो प्रमोद साव के मोबाईल पर संतोष साव के मोबाईल से फोन आया तो थाना प्रभारी ने बात किया जिसमें फिरौती की मांग ढाई लाख की गई। उसके बाद मेरे बड़े पापा सोनो पुल के पास फिरौती की ढ़ाई लाख रूपया दिए तो आधा घंटा बाद उनको छोड़ दिया गया।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि उस दिन जब संतोष घर नहीं आया तो उसके परिवार वाले और मैं भी उसकी खोजबीन करने लगा। जिसका अपहरण किया गया उसका कोई पता नहीं चला। कहां से फोन आया था ये मुझें पता नहीं हैं और फिरौती का रकम किसे दिया गया यह भी मुझें पता नहीं हैं। मेरे सामने किसी को फिरौती नहीं दिया गया। अभियुक्त को मैं पूर्व से नहीं जानता हूं और अब भी नहीं पहचान रहा हूं।

14. अभियोजन साक्षी संख्या 4 संतोष कुमार (अपहृत) अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि यह केस मेरे पिता जी प्रमोद कुमार साव ने किया हैं। दिनांक 06.02.2023 को रात्रि 08:15 में मैं दुकान बंद करके रक्तरोहनिया से अपने घर जोकटिया आ रहे थें इसी क्रम में तीन लोगों ने बीच में ही हाथ मारकर के हमको रोक लिया और हमसे मारपीट करने लगा जिसमें वे लोग अपने में नाम ले रहे थें सुनील। उसके बाद उन लोगों ने फोन पर फिरौती की मांग मेरे पिताजी से की फिर मरे पिता जी ने उन लोगों को ढ़ाई लाख रूपये दिए थें। मेरे पिता जी से फिरोती लेने के बाद उनलोगों ने मुझें बलथर पुल के नीचे लाकर छोड़ दिया और मेरा बाईक भी मेरे साथ दे दिया उसके बाद कुछ दूर चलने के बाद पुलिस आई और मुझें थाने ले गई और थाने में ले जाकर मुझसे ब्यान लिया था। उसके बाद रात्रि में लगभग 08:15 बजे पुलिस हमको छोड़ दिया। कुछ दिन के बाद पुलिस ने मुझें न्यायालय में लाया जहां मेरा ब्यान हुआ। जिन लोगो ने मेरा अपहरण किया था उनलोगों में से मैं किसी को नहीं पहचानता हूं बस नाम सुना था सुनील।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि फिरौती मेरे पिताजी ने किसको दिया हैं मैं नहीं जानता हूं। मैं जिस व्यक्ति का नाम सुनील सुन रहा था उस व्यक्ति के बारे में मैं पूर्व से नहीं जानता हूं लेकिन अब मैं यह जानता हूं कि वह पड़ोसी का रिश्तेदार हैं। जब पुलिस मुझें छोड़ दी उसके 15 दिन के बाद मुझें पलिस जमुई लाई इसके आलावे मुझें कोई जानकारी नहीं क्योंकि उन लोगों ने मेरा मुंह बांध कर रखा था।

15. अभियोजन साक्षी संख्या 5 चितरंजन कुमार (अनुसंधानकर्ता) अपने मुख्य परीक्षण में साक्ष्य दिया हैं कि दिनांक 07.02.2023 को मैं सोनो थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित था। उक्त तिथि को मुझे प्रमोद कुमार साह ग्राम जोकटिया थाना सोना का लिखित आवेदन प्राप्त हुआ था। उनके लिखित आवेदन के आधार पर मैंने सोनो थाना कांड संख्या 36/23 दिनांक 07.02.2023 को दफा 363, 365 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दर्ज किया। यही वो आवेदन हैं जो मुझें प्रमोद कुमार साह के द्वारा प्राप्त हुआ था जिसे प्रदर्श P2/PW5 अंकित किया जाता हैं। लिखित आवेदन पर सोनो कांड संख्या 36/23 दर्ज किये जाने का पृष्ठांकण मेरे द्वारा किया गया था जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं। जिसे प्रदर्श P3/PW5 अंकित किया जाता हैं। पृष्ठांकण किये जाने के बाद औपचारिकी प्राथमिकी थाना के मुंशी के लिखावट में हैं। जिसे प्रदर्श P4/PW5 अंकित किया जाता हैं और इस प्राथमिकी पर मेरा हस्ताक्षर हैं। जिसे प्रदर्श P5/PW5 अंकित किया जाता हैं। इस कांड के अंकित किये जाने के बाद अनुसंधान का भार मैंने स्वयं ग्रहण किया था तथा मैंने आवेदन के अंशों को कांड दैनिकी में अंकित किया था। उसके बाद मैंने इस केस के वादी प्रमोद कुमार साह का पुनः ब्यान अंकित किया। तत्पशचात् घटनास्थल के निरिक्षण के लिए प्रस्थान किया। वादी के बताये अनुसार घ टनास्थल सोनो थाना अंतर्गत ग्राम रक्तरहौनिया पहुंचा जहां वादी किराना दुकान चलाता हैं तथा अपने बेटे संतोष कुमार के दुकान से वापस नहीं लौटने की बात बताई गई। घ टनास्थल की चौहद्दी पूरब में मुसो खैरा पे0 मोती खैरा का पक्का एवं खपड़ैल का मकान, पश्चिम सुधीर खैरा का पक्का का मकान, उत्तर में सड़क जो सीधे रक्तरहौनिया के तरफ जाती हैं तथा दक्षिण रावत खैरा का पक्का का मकान स्थित हैं। घटनास्थल के निकट साक्षी संजय साव एवं सोनु कुमार का ब्यान लिया जिसे कांड दैनिकी में अंकित किया। तत्पश्चात् वहां के कुछ अन्य लोगों से पुछताछ किया गया परन्तु संतोष कुमार का कुछ पता नहीं चल सका। फिर संतोष कुमार का मोबाईल नंबर 7488199836 का सी0डी0आर एवं टावर लोकेशन प्राप्त करने हेतु पुलिस अधिक्षक महोदय जमुई के तकनीकी शाखा को भेजा। संतोष कुमार के बारे में पता लगाते हुए थाना वापस आया और कांड दैनिकी में अंकित किया। दिनांक 09.02.2023 को सूचना मिली कि बलथर पुल के पास एक लड़का मोटरसाईकिल के साथ खड़ा हैं। सूचना के सत्यापन के लिए मैं पुलिस बल के साथ बलथर पुल के पास पहुंचा। वहां पर अपहृत संतोष कुमार को बलथर पुल के पास मोटरसाईकिल के साथ बरामद किया तथा संतोष कुमार को थाना लेकर आया और संतोष कुमार के परिजनों को सूचित किया। अपहृत संतोष कुमार का ब्यान अंकित कर कांड दैनिकी में अंकित किया। संतोष कुमार ने अपने ब्यान में बतलाया कि दिनांक 06.02.2023 को रात्रि 08:00 बजे रक्तरहौनिया स्थित अपने किराना दुकान को बंद करने के बाद अपने घर मोटरसाईकिल से वापस आ रहा था तो दुकान से कुछ दुर आहर के पास जाते ही अचानक उसे कुछ लोगों ने रूकवाया और पिस्तौल सटा दिया और कहा कि चुप–चाप हमलोगों के साथ चलो। सभी लोग गमछा से अपना मुंह ढके हुए थें। फिर उनलोगों ने उनका आंख बंद कर दिया और मोटरसाईकिल पर बैठाकर इधर–उधर घुमाने लगा तथा उनके मोबाईल से 6 लाख रूपय

की फिरौती की मांग उनके पिता जी से किया। उनके पिता जी ने 6 लाख रूपय देने से असमर्थता जताई और ढाई लाख रूपया देने के लिए राजी हो गए। उसके बाद संतोष कुमार को गन्ने के खेत में रखा। अपहरणकर्ता आपस में बात कर रहे थे तथा उनलोगों के बातचीत के क्रम में एक का नाम सुनील पता चला और स्थानीय भाषा में बोल रहे थे। अपहरणकर्ताओं ने ढाई लाख रूपया लेने के बाद संतोष कुमार को बलथर पुल के पास छोड़ दिया। इसी बीच उनका मोबाईल स्विच ऑफ होने के बाद तीन अपराधकर्मीयों ने किसी अन्य मोबाईल से संतोष कुमार के घर फोन किया। तत्पश्चात् प्रमोद कुमार साह के मोबाईल नंबर 9142367185 पर आये अपहरणकर्ता के मोबाईल नंबर 9153832761 की कॉल डिटेल्स प्राप्त करने के लिए पुलिस अधिक्षक महोदय जमुई के तकनिकी शाखा को भेजा। श्रीमान् पुलिस अधिक्षक जमुई के तकनिकी शाखा से सी0डी0आर प्राप्त किया। जिसमें दिनांक 07.02.2023 को कई बार प्रमोद कुमार साह के मोबाईल नंबर 7488199836 पर मोबाईल नंबर 9153832761 से कई बार फोन आया। मोबाईल धारक का नाम तकनीकी शाखा जमुई से प्राप्त किया जिसमें मोबाईल धारक का नाम गौरी कुमारी पे0 कारू मांझी साकिन घुटवे थाना चरकापत्थर जिला जमुई बतलाया गया। तत्पश्चात् मैं थाना से महिला बल एवं पुलिस बल के साथ ग्राम घुटवे गया तथा मोबाईल धारक गौरी कुमारी ने कोई संतोषजनक बात नहीं बताई। तत्पश्चात् गौरी कुमारी के मोबाईल नंबर 9153832761 जिसका आई0एम0ई0आई नंबर 357925725204260 के फोन में वर्तमान में कौन से नंबर चल रहा हैं ज्ञात करने हेतु पुलिस अधिक्षक जमुई के तकनिकी शाखा को भेजा। संतोष कुमार के मोबाईल नंबर 7488199836 जिसके आई0एम0ई0आई नंबर 864330042201810 के फोन में वर्तमान में कौन से नंबर चल रहा हैं ज्ञात करने हेतु पुलिस अधिक्षक जमुई के तकनिकी शाखा को भेजा। दिनांक 07.03.2023 को कांड के अपहृत संतोष कुमार के मोबाईल जिसका आई0एम0ई0आई नंबर 864330042201810 पर वर्तमान में 6203471848 का नंबर कार्य कर रहा था जिसके धारक का नाम पिंकी देवी पति विशुन रविदास साकिन डेहरी टिलवा थाना सोनो जिला जमुई ज्ञात हुआ। छापामारी करने हेतु ग्राम डेहरी टिलवा पहुंचा और पिंकी देवी के पति विशुन रविदास ने बताया कि उक्त मोबाईल का उपयोग विशुन रविदास करते हैं जो मोबाईल संतोष कुमार का हैं जिसका दिनांक 06.02.2023 को उनलोगों ने अपहरण किया था। उक्त मोबाईल जो रेडमी कंपनी का है तथा जिसका आई0एम0ई0आई नंबर 864330042201810 हैं को जप्त किया और जप्ती सूची अभियुक्त विशुन दास के समक्ष बनाया और उसका हस्ताक्षर करवाया तथा इसकी एक प्रति अभियुक्त विशुन रविदास को हस्तगत कराया। जप्ती सूची पर साक्षी के रूप में अभिषेक कुमार साह एवं रविकान्त कुमार ने हस्ताक्षर किया था। यही वो जप्ती सूची हैं जो मेरे लिखावट और हस्ताक्षर में हैं जिसे मैं पहचानता हूं। इसे प्रदर्श P6/PW5 अंकित किया जाता हैं। विशुन रविदास ने बताया कि अपहरण की घटना में सुनील दास एवं अमीत यादव भी शामिल थें। तत्पश्चात् विशुन रविदास को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी मेमों बनाया तथा गिरफ्तारी की सूचना उनकी पत्नी पिंकी देवी को दिया। यही वो गिरफ्तारी मेमो है जो मेरे लिखावट और हस्ताक्षर में हैं। इसे प्रदर्श P7/PW5 अंकित किया जाता हैं। इसके बाद गिरफ्रतार अभियुक्त विशुन रविदास को साथ लेकर ग्राम असरोहा थाना चरकापत्थर स्थित सुनील दास के घर पर छापामारी किया। सुनील दास अपने घर पर उपस्थित थें उन्हें गिरफ्तार कर गिरफ्तारी मेमों बनाया तथा गिरफ्तारी की सूचना उनकी भाभी उषा देवी को दिया। यही वो गिरफ्तारी मेमो है जो मेरे लिखावट और हस्ताक्षर में हैं। इसे प्रदर्श P8/PW5 अंकित किया जाता हैं। सुनील दास के घर से अपहरण में प्रयुक्त होने वाले मोटरसाईकिल जिसका रजि नंबर BR-46H-2159 हैं

को विधिवत जप्त कर जप्ती सूची बनाया तथा जप्ती सूची की एक प्रति सुनील दास को हस्तगत कराया। यही वह जप्ती सूची हैं जो मेरे लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं। इसे प्रदर्श P9/PW5 अंकित किया जाता हैं। इसके बाद दोनों गिरफ्तार अभियुक्त विशुन रविदास एवं सुनील दास को साथ लेकर ग्राम मांगों बन्दर अमीत कुमार के घर पर छापामारी किया परन्तु वह घर पर नहीं मिला। गिरफ्तार अभियुक्तों को लेकर थाना आया और दोनों अभियुक्तों से सघन पूछताछ किया। पूछताछ के दौरान अभियुक्त विशुन रविदास एवं सुनील दास ने अपना स्वीकारोक्ती ब्यान दिया। दोनों अभियुक्तों का स्वीकारोक्ती ब्यान दर्ज किया यही अभियुक्त विशुन रविदास एवं सुनील दास का स्वीकारोक्ती ब्यान हैं जो उनके ब्यान के आधार पर थाना में मेरे द्वारा टंकित किया गया तथा उसे अभियुक्तों ने पढ़कर व सुन व समझकर अपना हस्ताक्षर बनाया। स्वीकारोक्ती ब्यानो को क्रमशः प्रदर्श P10/PW5 एवं P11/PW5 अंकित किया जाता हैं। हाजत के नियमों का पालन करते हुए साफ–सुथरे हाजत में दोनों अभियुक्तों को बन्द किया। दिनांक 08.03.2023 को गिरफतार अभियुक्त विशुन रविदास एवं सुनील दास को न्यायिक अभिरक्षा में रखने हेतु विद्वान न्यायालय श्री प्रणव कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। न्यायालय के आदेशानुसार मण्डल कारा जमुई भेजा गया। दिनांक 08.03.2023 को सूचना मिली कि अन्य अभियुक्त अमीत कुमार को खैरा थाना कांड संख्या 95/23 में गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में बंद हैं। मैंने खैरा थाना जाकर थानाध्यक्ष खैरा से उक्त संदर्भ में जानकारी प्राप्त की तो पता चला कि उक्त अपहरण कांड में अमीत कुमार की संल्पित्ता बताई गई साथ ही खैरा थाना द्वारा अप्राथमिकी अभियुक्त अमीत कुमार के द्वारा खैरा थानाध्यक्ष के समक्ष दी गई स्वीकारोक्ती ब्यान की प्रति प्राप्त किया जिसे कांड दैनिकी में अंकित किया। अमीत कुमार के स्वीकारोक्ती ब्यान के आधार पर अपहृत संतोष कुमार के अपहरण में इनकी संल्पित्ता अभिलक्षीत होती हैं। दिनांक 13.03.2023 को अपहृत संतोष कुमार का द0प्र0स0 के धारा 164 के तहत ब्यान दर्ज कराने हेतु विद्वान न्यायालय श्री प्रणव कुमार न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में प्रस्तुत किया। विद्वान न्यायालय के आदेशानुसार अपहृत का ब्यान द0प्र0स0 के धारा 164 के तहत ब्यान दर्ज किया गया जिसकी एक प्रति मुझें न्यायालय द्वारा दिया गया। विद्वान न्यायालय के द्वारा दर्ज किया गया यही वो ब्यान हैं जिसकी प्रति मुझे हस्तगत कराया गया था। इसे प्रदर्श P12/PW5 अंकित किया जाता हैं। गौरी कुमारी पे0 कारू मांझी साकिन घुटवे थाना चरकापत्थर के मोबाईल संख्या 9153832761 के चोरी के संबंध में चरकापत्थर थाना कांड संख्या 69/23 दर्ज कराया गया था जिसकी सूचना चरकापत्थर थाना से प्राप्त हुआ था और इसी मोबाईल से फिरौती की मांग की गई थी तथा इस मोबाईल का उपयोग अप्राथमिकी अभियुक्त अमित यादव किया करता था। दिनांक 25.04.2023 को अप्राथमिकी अभियुक्त अमित यादव को इस कांड में उपस्थापित करने हेतु विद्वान न्यायालय में समर्पित किया जो मण्डल कारा में काराधीन था। न्यायालय के आदेशानुसार अप्राथमिकी अभियुक्त अमित यादव को इस कांड में उपस्थापित कर रिमांड किया गया। वरीय अधिकारी के ज्ञापांक 2094 सी0आर दिनांक 27.04.2023 जिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। यह कांड धारा 364ए/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत अप्राथमिकी अभियुक्त सुनील दास, विशुन रविदास एवं अमित कुमार के विरूद्ध सत्य पाया गया तथा मुझे आरोप पत्र जमा करने का आदेश प्राप्त हुआ। उपरोक्त आदेश एवं कांड दैनिकी में उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर मैंने अप्राथमिकी अभियुक्त सुनील दास, विशुन रविदास एवं अमित कुमार के विरूद्ध धारा 364ए/34 भा0द0वि0 के अन्तर्गत दिनांक 30.04.2023 को आरोप पत्र संख्या 131/23 समर्पित किया। यह आरोप पत्र मेरे लिखावट एवं मेरे हस्ताक्षर में हैं जिसे मैं पहचानता हूं।

इसे प्रदर्श P13/PW5 अंकित किया जाता हैं। अनुसंधान के दौरान मैंने उपरोक्त कथित मोबाईल संख्या का सी0डी0आर0 प्राप्त किया तथा कांड दैनिकी में संलग्न किया। मोबाईल संख्या 7488199836 जोकि अपहृत संतोष कुमार के नाम पर हैं के सी0डी0आर0 को संयुक्त रूप से प्रदर्श P14/PW5 अंकित किया जाता हैं। मोबाईल संख्या 9153832761 जोकि गौरी देवी के नाम पर हैं के सी0डी0आर0 को संयुक्त रूप से प्रदर्श P15/PW5 अंकित किया जाता हैं। अभियुक्त अमित यादव के मोबाईल संख्या 9279923619 जोकि अमित कुमार यादव के नाम पर हैं के मोबाईल फोन के आई0एम0ई0आई नंबर 864330042201810 के सी0डी0आर0 को संयुक्त रूप से प्रदर्श P16/PW5 अंकित किया जाता हैं। अपहृत संतोष कुमार का मोबाईल जिसका आई0एम0ई0आइ नंबर 864330042201810 में मोबाईल नंबर 6203471848 प्रयुक्त किया गया था धारक का नाम पिंकी देवी पति विशुन दास था जिसका प्रामण शाखा के माध्यम से प्राप्त हुआ। इसे प्रदर्श P17/PW5 अंकित किया जाता हैं। मैं आज न्यायालय में उपरोक्त कथित मोबाईल फोन 7488199836, 9153832761, 6203471848, 9279923619 की प्राप्त सी0डी0आर से संबंधित प्रमाण पत्र धारा 65बी भा0सा0अधि0 प्रस्तुत कर रहा हूं जोकि भूलवश आरोप पत्र के साथ दाखिल नहीं किया जा सका था। (प्रमाण पत्र धारा 65बी भा0सा0अधि0 की प्रति बचाव को प्राप्त कराई गयी।) प्रमाण पत्र धारा 65बी भा0सा0अधि0 को प्रदर्श P17/PW5 अंकित किया जाता हैं। आज न्यायालय के समक्ष सोनो थाना से एक एम0आई नीले रंग का मोबाईल फोन सिपाही 03 संतोष कुमार के द्वारा प्रस्तुत किया गया जिसके पीछे इस केस का विवरण एवं एक चिपके हुए कागज पर भी कांड का विवरण अंकित हैं तथा न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी के हस्ताक्षर में हैं। मोबाईल फोन को साक्षी ने पहचानते हुए बताया कि यह वही मोबाईल फोन है जिसे अनुसंधान के दौरान अभियुक्त विशुन रविदास के फुलपैन्ट के पॉकेट से जप्त किया गया था इसे वस्तु प्रदर्श MO1/PW5 अंकित किया जाता हैं तथा वस्तु प्रदर्श कॊ सिपाही 03 संतोष कुमार को वापस किया जाता हैं।

प्रतिपरीक्षण के दौरान साक्षी ने साक्ष्य दिया हैं कि सूचक मैं सोनो थाना में करीब 18 महीनों तक पदस्थापित था। प्रमोद साह दिनांक 06.02.2023, 10:42 मे अपहरण के बारे मे सूचक प्रमोद साव के द्वारा सूचना दिया गया इस बात का जिक्र स्टेशन डायरी मे मैंने नोट किया कि नही मुझे याद नही है। औपचारिक प्राथमिकी किस मुंशी के लिखावट मे है मुझे याद नही है। चूकि प्रमोद द्वारा लिखित आवेदन दिया गया था इसलिये मैं यह नही कह सकता कि लिखावट एवं हस्ताक्षर मे अन्तर है। घटनास्थल रक्तरोहनिया गांव प्रमोद साह का दुकान किस पंचायत मे है और उसके मुखिया कौन है, मुझे याद नही है। घटनास्थल पर वादी के कहने पर गये थे। घटनास्थल पर अपहरण के बारे मे पूछ ताछ किया था परन्तु जिनसे पूछ ताछ किया था उनका नाम नही याद है। मेरे द्वारा छापामारी दल का गठन नही किया गया था और सदस्य भी कोई नही था। रक्तरोहनिया के आहार पर मैंने निरीक्षण किया था। वहां पर कोई घर नही है, सुनसान है। घटनास्थल पर कितने बजे पहुंचे केस डयरी मे इसका जिक्र नही किया है। घटनास्थल के चौहदी मे दर्शाये गये व्यक्तियो का बयान मैंने केस डायरी मे अंकित नही किया है। अपहरित संतोष की बरामदगी के लिये मैंनें कब–कब और कहां–कहां छापेमारी किया इसका केस डायरी मे जिक्र नही किया है। सी.डी.आर के अनुसार दिनाक 07.02.2023 अभियुक्तो का लोकेशन टावर झुण्डो दिखा रहा था। सी.डी.आर के अनुसार मोबाइल नं0 9153832761 का लोकशन टावर डोकली, केन्दुआ और टिहिया दिखा रहा था। स्वयं कहा अपहरित संतोष को केन्दुआ मे छोडा गया था और मोबाइल नं0 9153832761 का लोकशन केन्दुआ मे था और वहां से ही

अपहरित के पिता के मोबाइल नं0 9142367185 पर फोन किया गया था। सी.डी.आर पढना मुझे आता है और कंप्यूटर सांइस से मैं बी.सी.ए किया हूं। वाइस सेम्पल को एफ.एस.एल नही भेजा। घटनास्थल का विडियो रिकाडिगं मैंने नही भेजा। केस डायरी मे सभी साक्षी एकही परिवार के है। किसी साक्षी ने अभियुक्त अमित का नाम लिया था लेकिन सुनील का नाम लिया गया था। धारा 164 सी.आर.पी.सी मे अमित का नाम नही है, सुनील का नाम है। इस केस मे अमित प्रोडक्शन वारंट मे जेल भेजा गया था। स्वयं कहा छापेमारी के दौरान अमित अपने घर पर नही मिला और मैंने संबंधित खैरा थानाध्यक्ष को इस केस के बारे मे बताया था और कहा था और कहा था कि अमित इस केस मे वाडेंट है और बाद मे मुझे खैरा थानाध्यक्ष द्वारा खबर मिला कि अमित गिरफ्तार हो गया है और उसके पास से मोबाइल नं0 9153832761 (जिसके द्वारा रैन्सम की मांग कि जा रही थी) एवं एक हथियार बरामद हुआ। इसके बाद मैंने अभियुक्त अमित का प्रोडक्शन वारंट न्यायालय के समक्ष इस केस मे लगाया था। मेरे कहने पर ही खैरा थानाध्यक्ष द्वारा अभियुक्त अमित के घर पर छापेमारी किया गया था। अभियुक्त अमित का स्वीकारोक्ती बयान मैंने अपने लिखावट मे मैंने लिखा था, खैरा थाना के द्वारा लिखा गया था। इस केस मे मैंने अभियुक्त अमित का न्यायायिक संनस्वीकृति दर्ज कराने के लिये कोई आवेदन नही दिया था। मोबाइल नं0 9153832761 की धारा गौरी कुमारी का बयान मैंने पारा 26 मे लिया था और उसके पिता का बयान नही लिया गया था। संतोष की बरामदगी के बाद मैंने उसके द्वारा कथित गन्ने के खेत का निरीक्षण किया था, उसके खेत के मालिक का नाम मुझे याद नही है।

संतोष का अपहरण आहर से हुआ था जो की उसके दुकान के पास है। आहर पर मैं संतोष की बरामदगी के बाद मे गया था, उस वक्त संतोष मेरे साथ था। एफ.आई.आर के बाद संतोष के पिता के साथ मैं उसके दुकान पर गया था। संतोष का पिता प्रमोद साह अपहरण के समय उसके साथ नही था, अपने घर पर था। अभियुक्त सुनील दास को घटना के लगभग 1 माह के बाद इस केस मे गिरफ्तार किया गया था। इस केस मे कोई टी.आई.पी नही हुई थी। सुनील दास के घर से मोटरसाइकिल बरामद की गयी थी, जो कि सुनील दास की थी। अपहृत संतोष ने बलथर पुल के उस स्थान को मुझे नही दिखाया था जहां पर उसको छोडा गया था परन्तु उस स्थान के बारे मे बताया था। पारा 18 मे इससे संबंधित बात लिखी है। बलथर पुल से सटे कोई गांव नही है इसलिये मैंने वहां के किसी व्यक्ति का बयान मैंने नही लिया था।

मंतव्य (Findings)

16. उपरोक्त साक्ष्य के विशलेषण के पश्चात् न्यायालय के समक्ष यह विचारणीय प्रश्न हैं कि क्या अभियुक्तगण ने पीड़ित का अपहरण किया था। धारा 364A के अंतर्गत सर्वप्रथम यह सिद्ध करना आवश्यक हैं कि पीड़ित का वास्तविक अपहरण या व्यपहरण हुआ। केवल आरोप पर्याप्त नहीं, बल्कि ठोस साक्ष्य आवश्यक हैं।

17. पी0डब्लू–4 संतोष कुमार (पीड़ित स्वयं) ने न्यायालय में ब्यान दिया कि दिनांक 06.02.2023 को रात्रि 08:15 बजे जब वह रक्तरोहनिया से अपने घर जोकटिया जा रहा था, तब कम से कम तीन लोगों ने बीच रास्ते में हाथ मारकर उसे रोका, मारपीट की और जबरदस्ती अपने साथ ले गए। यह स्वयं पीड़ित का प्रत्यक्ष ब्यान हैं जो अपहरण की घटना की पुष्टि करता हैं।

पी0डब्लू–2 प्रमोद कुमार साव (पीड़ित के पिता) ने बताया कि 06.02.2023 को जब संतोष रात 9–10 बजे तक घर नहीं आया तो वे दुकान की तरफ गए। दुकान पर ताला लगा था। ग्रामीणों ने बताया कि संतोष डेढ़ घंटे पहले ही दुकान बंद करके निकल गया था। इससे यह स्पष्ट होता हैं कि संतोष सामान्य मार्ग से लापता हो गया।

पी0डब्लू–5 चितरंजन कुमार (अनुसंधानकर्ता) ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपने ब्यान में बताया कि संतोष कुमार को बलथर पुल के पास रखा गया था जहां से बाद में उसे बरामद किया गया। सी0डी0आर0 विश्लेषण से भी यह सिद्व होता हैं कि अभियुक्तों के मोबाईल का टावर लोकेशन घटनास्थल के निकट था।

पीड़ित के स्वयं के ब्यान, पिता के ब्यान तथा अनुसंधानकर्ता के ब्यान और सी0डी0आर0 साक्ष्य से अपहरण की घटना सिद्व होती हैं। यह तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा पर्याप्त रूप से स्थापित किया गया हैं।

18. धारा 364 के लिए यह आवश्यक हैं कि अपहर्ताओं ने पीड़ित को मारने की धमकी दी हो या उसके जीवन को वास्तविक खतरे में डाला हो। यह धमकी पीड़ित को, उसके परिजनों को या किसी अन्य व्यक्ति को दी जा सकती हैं।

पी0डब्लू–2 प्रमोद कुमार साव ने अपने विस्तृत ब्यान में बताया कि जब संतोष के माबाईल से फिरौती मांग की गई तब फोन पर स्पष्ट रूप से कहा गया ''छः लाख रूपये दो नही तो बेटा मार दिया जायेगा।'' यह सीधी और स्पष्ट रूप से जान से मारने की धमकी हैं। पी0डब्लू–2 ने आगे बताया कि फोन पर बहुत ही अभद्र भाषा में बात की गई, गाली–गलौज भी की गई और बच्चे को काट देने की धमकी दी गई।

पी0डब्लू–2 संजय साव (चाचा) ने भी पुष्टि की हैं कि उसे मारपीट की गई और पिस्तौल सटा दी गई। उसे गन्ने के खेत में रखा गया। इससे यह स्पष्ट हैं कि पीड़ित का जीवन वास्तविक खतरे में था।

पी0डब्लू–3 ने भी पुष्टि की हैं कि फिरौती न देने पर बच्चे को काटने की धमकी दी गई थीं।

19. पी0डब्लू–2 के ब्यान से यह भी स्पष्ट होता हैं कि धमकी केवल एक बार नहीं बल्कि 06.02.2023 से 09.02.2023 तक बार–बार दी गई। हर बार फिरौती न देने पर बच्चे को मारने की धमकी दोहराई गई। एकाधिक गवाहों के ब्यान से हत्या की धमकी और जीवन को खतरे का तत्व पूर्णतः सिद्व होता हैं। जिस संबंध में लिखित आवेदन अभियोजन की ओर से प्रदर्श 2 के रूप में प्रस्तुत किया गया। यह तत्व अभियोजन पक्ष के पक्ष में सर्वाधिक मजबूत हैं क्योंकि तीन स्वतंत्र गवाहों ने इसकी पुष्टि की हैं। यह तत्व धारा 364A का तीसरा महत्वपूर्ण अंग हैं। अभियोजन को यह सिद्व करना होगा कि पीड़ित के साथ ऐसा व्हार किया गया जिससे उसे वास्तविक चोट पहुंची हो या उसे मृत्यु का उचित भय हो।

पी0डब्लू0–4 संतोष कुमार ने अपने ब्यान में स्पष्ट कहा हैं किः– तीन से अधिक लोगों ने उसे हाथ मारकर रोका, मारपीट की गई, पिस्तौल सटाई गई और चुपचापप चलने को कहा, आंखें बंद करवाई गई और गमछे से मुंह ढका गया, गन्ने के खेत में रखा गया, मोटरसाईकिल पर बिठाकर इधर–उधर घुमाया गया।

पी0डब्लू0–5 चितरंजन कुमार ने बताया कि संताष को बलथर पुल के पास रखा गया था। पुल के नीचे फिरौती की रकम गिराई गई। इस पूरी प्रक्रिया में पीड़ित पूरी तरह अहर्ताओं के नियंत्रण में था।

20. पी0डब्लू0–5 के ब्यान से यह भी स्पष्ट होता है कि अपहरण में हथियार का प्रयोग किया गया था। यह तथ्य मृत्यु के उचित भय को और अधिक प्रमाणित करता हैं।

विष्णु रविदास के घर से हथियार बरामदगी, अनुसंधानकर्ता ने बतायसा कि विष्णु रविदास के पास से मोबाईल फोन के साथ एक हथियार भी बरामद हुआ। यह इस बात का साक्ष्य हैं कि अपहरणकर्ता सशस्त्र थें।

पीड़ित के स्वयं के ब्यान से मारपीट और पिस्तौल का प्रयोग सिद्ध होता हैं। चोट पहुंचाने और मृत्यु के उचित भय का तत्व स्थापित हैं। हालांकि मेडिकल रिपोर्ट का आभाव बचाव हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केवल मेडिकल रिपोर्ट के अभाव से दोषसिद्धनहीं रूकती यदि पीड़ित का ब्यान विश्वसनीय हो।

21. यह धारा 364 का सर्वाधिक महात्वपूर्ण तत्व हैं। फिरौती की मांग स्पष्ट और निश्चित होनी चाहिए। यह मांग किसी व्यक्ति, सरकार या संस्था से की जा सकती हैं।

फिरौती की मांग का क्रमिक विवरण:– दिनांक 06.02.2023 की रात– पहली बार संतोष के मोबाईल से पी0डब्लू–2 के मोबाईल पर फोन आया और छः लाख रूपया की मांग की गई। दिनांक 07.02.2023 की सुबह– पुनः फोन आया और छः लाख रूपया की मांग की गई। दिनांक 08.03.2023 को फोन पर मांग की रकम को घटाकर ढाई लाख की गई और बेटे को छोड़ने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 09.02.2023 की दोपहर को पी0डब्लू–2 को झाझा पेट्रोल पंप के पास बुलाया गया फिर मांगोबंदर, बजरंगबली मंदिर, केन्दुआ मोड़, टिहिया मोड़, डहुआ पुल इस प्रकार कई स्थानों पर बुलाया गया। डहुआ पुल पर अंततः पी0डब्लू–2 को पुल के तीसरे पाया के पास आकर पैसा पुल के नीचे गिराने को कहा गया। पी0डब्लू–2 ने ढाई लाख रूपया (2,50,000/–) पुल के नीचे गिराए। यह तथ्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं कि फिरौती केवल मांगी ही नहीं गई बल्कि वास्तव में दी भी गई। पी0डब्लू–2 ने स्वयं स्वीकार किया है कि उन्होंने ढाई लाख रूपये पुल के नीचे गिराए।

पी0डब्लू–5 ने बताया हैं कि सी0डी0आर0 विश्लेषण से यह सिद्ध हुआ है कि मोबाईल नंबर 9153832761 का टॉवर लोकशन केन्दुआ, डोकली और टिहिया में था, ठीक वहीं स्थान जहां पी0डब्लू–2 को बुलाया गया था।

फिरौती की मांग का तत्व सर्वाधिक मजबूत साक्ष्यों से सिद्ध होता हैं। पी0डब्लू–1, पी0डब्लू–2 एवं पी0डब्लू–3 तीनों ने फिरौती की वास्तविक अदायगी और सी0डी0आर0 साक्ष्य इसे और भी मजबूत बनाते हैं।

22. न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष द्वारा कुल 18 प्रदर्श एवं 1 वस्तु प्रदर्श प्रस्तुत किए गए जो धारा 364(A) के अंतर्गत दोषसिद्धि के लिए एक सुदृढ़ साक्ष्य श्रृंखला निर्मित करते हैं। प्रदर्श पी01/पी0डब्लू–2 एवं पी02/पी0डब्लू–5, प्राथमिकी सूचना का आधार पी01/पी0डब्लू–2 पर पी0डब्लू–2 प्रमोद कुमार साव के हस्ताक्षर हैं जो लिखित आवेदन पर सूचक का हस्ताक्षर प्रमाणित करता हैं। पी02/पी0डब्लू–5 स्वयं लिखित आवेदन हैं। यह दोनों प्रदर्श मिलकर यह स्थापित करते हैं कि घटना की सूचना तत्कालिक रूप से दी गई थीं। आवेदन पर कांड दर्ज किए जाने का पृष्ठांकन पी03/पी0डब्लू–5 के रूप में अंकित हैं जो पी0डब्लू–5 की लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं, इससे प्रक्रियगत वैधता स्थापित होती हैं।

पी04/पी0डब्लू–5 औपचारिक प्राथमिकी हैं, तथा पी05/पी0डब्लू–5 पर पी0डब्लू–5 का हस्ताक्षर हैं। यह दोनों प्रदर्श सोनों थाना कांड संख्या 36/23 को धारा

363 एवं 365 के अंतर्गत दर्ज करने की प्रक्रिया को प्रमाणित करते हैं। यद्यपि प्रारंभिक एफ0आई0आर धारा 363/365 के अंतर्गत दर्ज हुई, किंतु अनुसंधान के दौरान धारा 364(A) सथापित होने पर आरोप–पत्र उसी के अंतर्गत समिर्पित किया गया। मोबाईल की जप्ती सूची पी0डब्लू–5 की लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं। अनुसंधान के दौरान अभियुक्त विष्णु रविदास के फुलपैंट के पॉकेट से एक नीले रंग का एम0आई मोबाईल फोन जप्त किया गया जिसे वस्तु प्रदर्श एम01/पी0डब्लू–5 के रूप में अंकित किया गया। इस मोबाइल का आई0एम0ई0आई0 नंबर 864330042201810 था जो पीड़ित संतोष कुमार के मोबाईल नंबर 7488199836 का ही फोन था। यह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं जो अभियुक्त विष्णु रविदास को सीधे अपहरण की घटना से जोड़ता हैं।

पी0–7/पी0डब्लू–5 अभियुक्त विष्णु रविदास का गिरफ्तारी मेमो हैं तथा पी08/पी0डब्लू–5 अभियुक्त सुनील दास का गिरफ्तारी मेमो हैं। गिरफ्तारी की सूचना क्रमशः पत्नी पिंकी देवी एवं भाभी उषा देवी को दी गई। यह प्रदर्श गिरफ्तार की प्रक्रियागत वैधता को प्रमाणित करते हैं।

पी0–9/पी0डब्लू–5 मोटरसाईकिल जप्ती सूची, अभियुक्त सुनली दास के घर से अपहरण में प्रयुक्त मोठरसाईकिल जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर BR-46H-2159 हैं, की विधिवत जप्त की गई। यह प्रदर्श इस बात का स्पष्ट साक्ष्य हैं कि अपहरण में उक्त वाहन का उपयोग किया गया और वह वाहन अभियुक्त सुनील दास के कब्जे में था।

पी0–12/पी0डब्लू–5 धारा 164 सी0आर0पी0सी0 के अंतर्गत संतोष कुमार का ब्यानः– यह ब्यान न्यायिक दंगडाधिकारी के समक्ष दिनांक 13.03.2023 को दर्ज किय गया। यह स्वतंत्र एवं निष्पक्ष परिस्थितियों में दर्ज ब्यान हैं जो पुलिस प्रभाव से मुक्त हैं। इस ब्यान में संताष कुमार ने पिस्तौल सटाए जाने, मारपीट, गमछें से मुंह ढके जाने और गन्ने के खेत में रखे जाने ी पुष्टि की। यह प्रदर्श पीड़ित के ब्यान की विश्वसनीयता को और अधिक पुष्ट करता हैं।

पी0–13/पी0डब्लू–5 आरोप–पत्र संख्या 131/23 यह आरोप–पत्र पी0डब्लू–5 की लिखावट एवं हस्ताक्षर में हैं जो धारा 364A/34 भा0द0वि0 के अंतर्गत तीनों अभियुक्तगण सुनील दास, विष्णु रविदास एवं अमित यादव के विरूद्ध दिनांक 30.04.2023 को समर्पित किया गया।

पी0–14 से पी0–17/पी0डब्लू–5ः– सी0डी0आर (कॉल डिटेल्स रिकार्ड):– यह प्रदर्श इस मुकदमें में सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी साक्ष्य हैं। पी0–14/पी0डब्लू–5 मोबाईल नंबर 9153832761 (गौरी कुमार के नाम प पंजीकृत, जिसका उपयोग अभियुक्त अमित यादव करता था) का सी0डी0आर हैं। पी0–16/पी0डब्लू–5 मोबाईल नंबर 6203471848 का सी0डी0आर हैं जो पिंकी देवी पति विष्णु दास के नाम पर था। सी0डी0आर विश्लेषण से सिद्ध होता हैं कि दिनांक 07.02.2023 को अभियुक्तगण के मोबाईल का टॉवर लोकेशन केन्दुआ, डोकली एवं टिहिया में था ठीक वहीं स्थान जहां पी0डब्लू0–2 को फिरौती देने बुलाया गया था।

पी0–18/पी0डब्लू–5ः– धारा 65बी का प्रमाण–पत्र सी0डी0आर साक्ष्य को विधिक मान्यता देने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 65बी के अंतर्गत प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया जो इलेक्ट्रॅानिक साक्ष्य की ग्राहृयता के लिए अनिवार्य हैं।

अनुसंधानकर्ता पी0डब्लू0–5 के साक्ष्य का विश्लेषण घटना के समय सोनो थाना में थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित थें दिनांक 07.02.2023 को पी0डब्लू0–2 का लिखित आवेदन प्राप्त कर अनुसंधान का भार स्वयं ग्रहरण किया। अनुसंधान के क्रम में

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567/2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
निर्णय की तिथि:– 23.06.2026

उन्होंनें घटनास्थल ग्राम रक्तरोहनिया का निरीक्षण किया, स्थानीय गवाह के ब्यान दर्ज किए और संतोष कुमार के मोबाईल नंबर का सी0डी0आर एवं टॉवर लोकेशन पुलिस अधीक्षक की तकनीकी शाखा से प्राप्त किया। दिनांक 09.02.2023 को सूचना मिलने पर वे बलथर पुल पहुंचे जहां पीड़ित संतोष कुमार मोटरसाईकिल के साथ खड़ा मिला। पीड़ित को तत्काल थाना लाकर ब्यान दर्ज किया। तत्पश्चात् आई0एम0ई0आई नंबर के ामध्यम से विष्णु रविदास तक पहुंचे, उसके घर पर छापामारी में संतोष का मोबाईल बरामद हुआ। विष्णु ने अपने ब्यान में सुनील दास एवं अमित यादव का नाम उजागर किया जिसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। तीनों के विरूद्ध धारा 364A/34 के अंतर्गत आरोप–पत्र समर्पित किया।

उपरोक्त साक्ष्य में मौखिक एवं दस्तावेजी विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट हैं कि अभियोजन, अभियुक्त अमित यादव एवं सुनील कुमार दास का दोष उचित संदेह से परे सिद्ध करने में पूर्णतः सफल रहा हैं।

आदेश

1. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों, गवाहों के ब्यान तथा अभिलेख पर उपलब्ध समस्त सामग्री के सम्यक् परीक्षण एवं विचारणोपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता हैं कि अभियुक्त अमित यादव एवं सुनील कुमार दास ने समान आशय से अपहृत संतोष कुमार साव का अपहरण कर उसे बंधक बनाकर फिरौती की मांग की तथा भय एवं धमकी उत्पन्न की। अभियोजन पक्ष आरोप को संदेह से परे सिद्ध करने में सफल रहा हैं।

अतः अभियुक्त अमित यादव एवं सुनील कुमार दास को भारतीय दंड संहिता की धारा 364A/34 के अपराध का दोषी ठहराया जाता हैं। आरोपी अमित यादव पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में हैं एवं आरोपी सुनील कुमार दास जमानत पर हैं। अरोपी सुनील कुमार दास का जमानत और जमानती अनुबंध खंड़ित किया जाता हैं। अरोपी सुनील कुमार दास को न्याययिक हिरास में लिया जाता हैं। आरोपी अमित यादव एवं सुनील कुमार दास को दिनांक 29.06.2023 को सजा की बिंदु सुनवाई हेतु दोषसिद्ध अभियुक्तगण को जिला कारा जमुई प्रतिपेषित किया जाता हैं।

अभिलेख दिनांक 29.06.2026 दंड के बिंदु पर सुनवाई हेतु प्रस्तुत करें।

लेखापित

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 23.06.2026

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश–पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 23.06.2026

Vopd

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567/2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023
सी0एन0आर (CNR) :– **BRJA01-006072-2023**
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
निर्णय की तिथिः– 23.06.2026

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई

प्रस्तुतः– श्री अमित कुमार

जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, पंचम्, जमुई

निर्णय की तिथिः– 23.06.2026

सजा हेतु सुनवाईः– 29.06.2026

सत्र वाद संख्या :– 567/2023

सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023

सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023

धाराः– 364A/34 भा0द0वि0

सजा के बिन्दु पर सुनवाई

आज यह वाद अभियुक्तगण सुनील कुमार दास एवं अमित कुमार यादव को दंड के बिंदु पर सुनवाई हेतु नियत हैं, जिन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 364A/64 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया गया हैं।

1. राज्य की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक तथा अभियुक्तगण की आरे से विद्वान बचाव पक्ष अधिवक्ता को दंड के बिंदु पर विस्तारपूर्वक सुना। बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय से अनुरोध किया कि अभियुक्तगण का यह प्रथम अपराध हैं तथा अभियुक्तगण बहुत गरीब हैं एवं बाल–बच्चों तथा परिवार का भरण–पोषण की जिम्मेदारी हैं, साथ ही वह अपने विधवा मां के साथ रहता हैं। अतः प्रार्थना करते हैं कि अभियुक्तगण को कम से कम दंड देने की कृपा की जाय। दूसरे ओर अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजन इसका विरोध करते हैं और न्यायालय से प्रार्थना करते हैं कि अभियुक्तगण के द्वारा किया गया अपराध समाज के विरूद्ध एवं गंभीर अपराध हैं इसलिए अभियुक्तगण को अधिकतम एवं कठोर सजा दिया जाए।

2. प्रस्तुत मामले में अपराध की प्रकृति, परिस्थितियों तथा सजा–नीति संबंधी न्यायिक दृष्टांतों पर विचार करना समीचीन हैं। दंड निर्धारित करने से पूर्व इस न्यायालय ने मामले के उग्रकारी (aggravating) एवं शमनकारी (mitigating) तथ्यों पर सावधानीपर्वूक विचार किया हैं, जो इस प्रकार हैं:–
   - (i) अपराध की प्रकृति–अत्यंत जघन्य।
   - (ii) फिरौती हेतु अपहरण–समाज के लिए गंभीर खतरा।
   - (iii) पीड़ित के साथ मारपीट एवं पिस्तौल का प्रयोग।
   - (iv) हत्या की धमकी बार–बार दी गई।
   - (iv) पीड़ित जीवित बरामद हुआ इसलिए मृत्युदंड का आधार नहीं।

3. दंड निर्धारित करने से पूर्व सजा–नीति संबंधी न्यायिक दृष्टांतों पर दृष्टिपात करना समीचीन होगाः– बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य (1980) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित किया गया हैं कि मृत्युदंड केवल ''रेयरेस्ट ऑफ रेयर'' (विरलतम में विरल) मामलों में ही दिया जाना चाहिए।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567/2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
निर्णय की तिथि:– 23.06.2026

माननीय शीर्ष न्यायालय ने धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य (1994) 2 SCC 220: 1994 SCC (Cri) 358 के मामले में अवलोकित किया कि '' हमारे विचार में, किसी दिए गए मामले में दंड की मात्रा अपराध की नृशंसता, अपराधी के आचरण, तथा पीड़ित की रक्षाहीन एवं असुरक्षित स्थित पर निर्भर होना चाहिए। समुचित दंड देना वह रीति हैं जिसके द्वारा न्यायालय अपराधियों के विरूद्व न्याय के लिए समाज की पुकार का उत्तर देते हैं। न्याय की मांग हैं कि न्यायालय अपराध के अनुरूप दंड दें ताकि न्यायालय अपराध के प्रति सार्वजनिक घृणा को प्रतिबिंबित करें। समुचित दंड देने पर विचार करते समय न्यायालयों को न केवल अपराधी के अधिकारों को ध्यान में रखना चाहिए, बल्किअपराध के पीड़ित तथा समाज के अधिकारों को भी ध्यान में रखना चाहिए।''

सेवक पेरूमल बनाम राज्य, AIR 1991 SC 1463 शीर्षक वाले मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवलोकित किया गया कि: ''अपर्याप्त दंड देने के लिए अनुचित सहानुभूति न्याय–व्यवस्था को अधिक हानि पहुंचाएगी तथा विधि की प्रभावशीलता में जनता के विश्वास को कमजोर करेगी, और समाज गंभीर खतरों के अधीन दीर्घकाल तक नहीं रह सकता। प्रत्येक न्यायालय का यह कर्तव्य हैं कि अपराध की प्रकृति तथा जिस रीति से उसे निष्पादित या किया गया, उसे ध्यान में रखते हुए समुचित दंड दे।'' प्रस्तुत मामले में पीड़ित जीवित बरामद हुआ हैं, अतः यह मामला ''विरलतम में विरल'' की श्रेणी में नहीं आता और उपर्युक्त सिद्धांतों के आलोक में आजीवन कारावास का दंड ही उचित एवं पर्याप्त हैं।

4. उपर्युक्त तथ्यों, पक्षकारों के तर्कों तथा विषय पर प्रतिपादित विधि पर विचार करते हुए यह न्यायालय आदेश देता हैं कि अभियुक्तगण सुनील कुमार दास एवं अमित यादव को निम्नानुसार दंडित किया जाता हैं:–

धारा के अंतर्गत अपराध	कारावास	अर्थदण्ड	जुर्माना अदा न करने की स्थिति में कारावास की सजा।
364A/34 भा0द0वि	आजीवन कारावास	10,000/–	6 माह का कारावास।

1. दोनों अभियुक्तों को दी गई सजाएं साथ–साथ (Concurrently) चलेगीं।
2. अभियुक्तगण द्वारा विचाराधीन बंदी के रूप में बिताई गई अवधि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के अंतर्गत उनकी सजा में समायोजित की जायेगीं।
3. आदेश से पृथक होने से पूर्व यह न्यायालय इस सुविचारित मत का हैं कि इस मामले का पीड़ित मुआवजे का अधिकारी हैं। अतः यह आदेशित किया जाता हैं कि पीड़ित दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357A के अंतर्गत भी मुआवजे का अधिकारी हैं। न्यायिक दृष्टांतों एवं संबंधित पीड़ित मुआवजा योजना के अनुसार उचित मुआवजा निर्धारण हेतु इस निर्णय/आदेश की प्रति विद्वान सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जमुई को भेजी जाए, ताकि विधि एवं नियमों के अनुसार पीड़ित को समुचित मुआवजा प्रदान किया जा सकें।
4. इस आदेश की एक प्रति अभियुक्तगण को दस्ती निःशुल्क प्रति उपलब्ध कराई जाए।

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567/2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023
सी0एन0आर (CNR) :– BRJA01-006072-2023
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
<u>उपस्थित– श्री अमित कुमार</u>
<u>निर्णय की तिथि:– 23.06.2026</u>

5. निर्णय एवं इस आदेश की एक प्रति दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 365 के अनुपालन में जिला मजिस्ट्रेट को भेजी जाए।

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 29.06.2026

<u>अभियुक्त/अभियुक्तगण की विवरणी</u>

अभियुक्त का कम संख्या	अभियुक्त/अभियुक्तों का नाम	गिरफ्तार होने की तिथि	जमानत पर मुक्त होने की तिथि	आरोप की धारा	विमुक्त/सजा	अधिरोपित सजा	426 द.प्र.सं. के लिए विचारण की अवधि के दौरान हिरासत में बिताया गया समय
1.	अमित यादव	29.04.2023	अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में हैं।	धारा:– 364A/34 भा0द0वि0	**सजा**	**आजीवन कारावास एवं 10,000/–रू जुर्माना।**	––
2.	सुनिल दास	08.03.2023	15.12.2023	,,	**सजा**	**आजीवन कारावास एवं 10,000/–रू जुर्माना।**	––

<u>अभियोजन मौखिक साक्ष्य:–</u>

<u>रैंक</u>	<u>नाम</u>	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
पी.डब्लू–1	**संजय साव**	**अन्य साक्ष्य**
पी.डब्लू–2	**प्रमोद कुमार साव**	**सूचक**
पी.डब्लू–3	**सोनु कुमार**	**अन्य साक्ष्य**
पी.डब्लू–4	**संतोष कुमार**	**पीड़ित/विशेष साक्ष्य**
पी.डब्लू–5	**चितरंजन कुमार**	**पुलिस साक्ष्य**

<u>विपक्षी मौखिक साक्ष्य:–</u>

<u>रैंक</u>	<u>नाम</u>	साक्ष्य की प्रवृति (चक्षुदर्शी साक्ष्य, पुलिस साक्ष्य, विशेष साक्ष्य, चिकित्सक साक्ष्य, पंच साक्ष्य, अन्य साक्ष्य)
नहीं	नहीं	नहीं

न्यायालय : जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, जमुई
सत्र वाद संख्या :– 567/2023
सोनो थाना कांड संख्या :– 36/2023
सी0एन0आर (CNR) :– **BRJA01-006072-2023**
बिहार सरकार बनाम अमित यादव एवं अन्य
उपस्थित– श्री अमित कुमार
निर्णय की तिथि:– 23.06.2026

अभियोजन प्रदर्श:–

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरणी
1.	पी1/पीडब्लू–2	लिखित आवेदन पर सूचक/पीडब्लू–2 का हस्ताक्षर।
2.	पी2/पीडब्लू–5	लिखित आवेदन।
3.	पी3/पीडब्लू–5	लिखित आवेदन पर कांड दर्ज किए जाने का पृष्ठांकण।
4.	पी4/पीडब्लू–5	औपचारिक प्राथमिकी।
5.	पी5/पीडब्लू–5	औपचारिक प्राथमिकी पर पीडब्लू–5 का हस्ताक्षर।
6.	पी6/पीडब्लू–5	मोबाईल की जप्ती सूची।
7.	पी7/पीडब्लू–5	अभियुक्त विशुन रविदास का गिरफ्तारी मेमो।
8.	पी8/पीडब्लू–5	अभियुक्त सुनील दास का गिरफ्तारी मेमो।
9.	पी9/पीडब्लू–5	मोटरसाईकिल की जप्ती सूची।
10.	पी10/पीडब्लू–5	अभियुक्त विशुन रविदास का स्वीकारोक्ति ब्यान।
11.	पी11/पीडब्लू–5	अभियुक्त सुनील दास का स्वीकारोक्ति ब्यान।
12.	पी12/पीडब्लू–5	धारा 164 दं0प्र0स0 अंतर्गत संतोष कुमार का ब्यान।
13.	पी13/पीडब्लू–5	आरोप–पत्र संख्या 131/23।
14.	पी14/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 7488199836 का सी0डी0आर।
15.	पी15/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 9153832761 का सी0डी0आर।
16.	पी16/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 9279923619 का सी0डी0आर।
17.	पी17/पीडब्लू–5	मोबाईल सं0 6203471848 का सी0डी0आर।
18.	पी18/पीडब्लू–5	प्रमाण–पत्र धारा 65बी भा0सा0अधि0

(अमित कुमार)
जिला सत्र न्यायाधीश– पंचम्,
व्यवहार न्यायालय, जमुई
दिनांक 29.06.2026

निर्णय हेतु निर्धारण की तिथि	09.06.2026
निर्णय की तिथि	23.06.2026
निर्णय अपलोड करने की तिथि	29.06.2026
सजा निर्धारण की तिथि	29.06.2026
निर्णय अपलोडकर्ता	कोर्ट रीडर सह डिपोजिशन राईटर

Web Copy